CGSU020038432022

न्यायालयः– प्रांजलि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	
अम्बिकापुर, जिला– सरगुजा(छ0ग0)	
निर्णय दिनांक –23.06.2025 आपराधिक प्रकरण क्रमांक–2817/2022 CNR. No.–CGSU020038432022 संस्थित दिनांक–01.10.2022 थाना–लखनपुर अपराध क्रमांक–124/2022	
अभियोजक	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना–लखनपुर, जिला–सरगुजा (छ०ग०)।
अभियोजन के पक्ष समर्थन हेतु–	सुश्री अश्वनी ठाकुर, ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त–	रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता आ० स्व० बढ़न साव, उम्र– 70 वर्ष, निवासी–ग्राम नवानगर बाजारपारा, थाना–दरिमा, जिला–सरगुजा (छ.ग.)।
अभियुक्त के पक्ष समर्थन हेतु–	श्री अनिल श्रीवास्तव, अधिवक्ता
घटना का दिनांक–	15.06.2022
रिपोर्ट दर्ज कराने की तिथि	15.06.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति की तिथि	01.10.2022
आरोप विरचित करने की तिथि	22.11.2022
साक्ष्य तिथि निर्धारण की आरंभिक तिथि	13.01.2023
निर्णय हेतु आरक्षित तिथि	23.06.2025
निर्णय की तिथि	23.06.2025
दोषसिद्धि के आदेश की तिथि	निरंक

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–2817/2022
थाना लखनपुर का अपराध क्रमांक –124/2022
संस्थित तिथि–01.10.2022
छ.ग.शासन विरुद्ध रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता

अभियुक्त का विवरणः–

अभियुक्त का क्र०	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी का दिनांक	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोपित अपराध धाराए	दोषसिद्धि / दोषमुक्ति	अधिरोपित दण्ड	धारा–428 दं0 प्० सं0 के तहत सजा में मुजरा की गयी अवधि
1.	रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता आ० स्व० बढ़न साव, उम्र– 70 वर्ष, निवासी–ग्राम नवानगर बाजारपारा, थाना–दरिमा, जिला–सरगुजा (छ.ग.)।	15.06.2022	15.06.2022	धारा 34(1)(क) आबकारी अधिनियम	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–2817/2022
थाना लखनपुर का अपराध क्रमांक –124/2022
संस्थित तिथि–01.10.2022
छ.ग.शासन विरुद्ध रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता

–अनुक्रमणिका–

क्र०	विवरण	पेज नम्बर
1	निर्णय का शीर्षक–	01
2	अधिवक्ता की उपस्थिति–	01
3	आरोप–	04
4	स्वीकृत तथ्य–	निरंक
5	अभियोजन कथानक–	04–05
6	कारण एवं निष्कर्ष–	06–12
7	सजा–	निरंक
8	सजा में मुजरा की गयी अवधि–	निरंक
9	संपत्ति का व्ययन–	13
10	मुआवजा आदेश –	निरंक
11	धारा –428 दं०प्र० संहिता के तहत प्रमाण पत्र –	14
12	सजा वारंट (सजा या अर्थदण्ड)–	निरंक
13	निर्णय की प्रतिलिपि–	01 से 14

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–2817/2022
थाना लखनपुर का अपराध क्रमांक –124/2022
संस्थित तिथि–01.10.2022
छ.ग.शासन विरुद्ध रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता

निर्णय

(आज दिनांक 23.06.2025 को उद्घघोषित)

---

01. अभियुक्त रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध थाना–लखनपुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर धारा 34(1)(क) छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 के तहत् आरोप है कि अभियुक्त रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता ने घटना दिनांक–15.06.2022 को समय 18:00 बजे, स्थान–पुलिस के पास, कोसगा, अंतर्गत थाना–लखनपुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में बिना वैध अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में एक झोला में रखा SIMBA EXTRA STRONG बियर बोतल 06 नग प्रत्येक में 650 एम०एल० कुल 03 लीटर 900 मि०ली० अंग्रेजी शराब (कीमती 1200/–) रुपये को आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों का उल्लंघन कर, बिक्री हेतु रखा था।

02. अभियोजन के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 15.06.22 को मुखबीर सूचना मिला कि एक व्यक्ति एक झोला में अंग्रेजी शराब रखकर बिक्री हेतु लखनपुर से कोसगा बेलदगी की ओर जा रहा है। उक्त सूचना

तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के गवाहान देवबली राम एवं राजेश साहू के साथ रवाना हुआ। ग्राम कोसगा पुलिया के पास एक व्यक्ति झोला पकड़कर आता मिला, जिसे रोक कर समक्ष गवाहान पूछताछ किया गया जो अपना नाम रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता होना बताया, जिसके कब्जे एक झोला में रखा सिम्बा एक्स्ट्रा स्ट्रांग अंग्रेजी शराब बीयर प्रत्येक में 650 नग, कुल मात्रा 03 लीटर 900 एम०एल० मौके पर झोला में रखा पाये जाने से सदर धारा का अपराध पाये जाने से मौके पर अंग्रेजी शराब बीयर रखने एवं बिक्री करने के संबंध में धारा– 91 जा०फौ० का नोटिस दिया गया, जो उक्त शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में कोई पास परमिट दस्तावेज पेश नहीं किया। आरोपी का कृत्य धारा–34 (1) क आबकारी एक्ट के तहत पाये जाने से आरोपी रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता के पेश करने पर एक झोला में रखा सिम्बा एक्स्ट्रा स्ट्रांग अंग्रेजी शराब बीयर प्रत्येक में 650 एम०एल० कुल 06 नग, कुल मात्रा 03 लीटर 900 एम०एल० कीमती 1200 रू को समक्ष गवाहान जप्त कर शराब को मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपी रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध अपराध सदर धारा का सबूत पाये जाने से मौके पर गिरफ्तार कर प्रकरण जमानतीय होने तथा आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया

गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने से अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1)(क) का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने जुर्म से इंकार किया है तथा प्रकरण में धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत् अभियुक्त कथन लिए जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होने का कथन करते हुए दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना व्यक्त किया है ।

04. **प्रकरण के समुचित निराकरण के लिए निम्न विचारणीय बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक हैः**–

"क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 15.06.2022 को समय 18:00 बजे, स्थान–पुलिस के पास, कोसगा, अंतर्गत थाना–लखनपुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में बिना वैध अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में एक झोला में रखा SIMBA EXTRA STRONG बियर बोतल 06 नग प्रत्येक में 650 एम०एल० कुल 03 लीटर 900 मि०ली० अंग्रेजी शराब (कीमती 1200/–) रुपये को आबकारी

अधिनियम, 1915 के प्रावधानों का उल्लंघन कर, बिक्री हेतु रखा था" ?

::– विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष –::

05. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में अभियोजन साक्षीगण देववली (अ.सा.क्र.01), प्रधान आरक्षक नरेन्द्र कुमार जांगड़े (अ.सा.क्र.02) एवं राजेश साहू (अ.सा.क्र.03) का कथन कराया गया है तथा जप्ती पत्रक प्र०पी० 01, बरामदगी पंचनामा प्र०पी० 02, गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 03, साक्षी देववली राम का पुलिस बयान प्र०पी० 04, नोटिस प्र०पी० 05, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 06, साक्षी राजेश साहू का पुलिस बयान प्र०पी० 07, प्रस्तुत किया गया है।

06. अभियोजन साक्षी देववली (अ.सा.01) का कथन है कि उसे घटना दिनांक के बारे में जानकारी नहीं है। लगभग 6–7 माह पूर्व लखनपुर थाना के मुंशी जांगड़े ने उससे कहा था कि दस्तावेज में हस्ताक्षर कर दो और फोटो दे दो तब उसने उनके कहने पर हस्ताक्षर कर दिया। उसके समक्ष पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं किया था। साक्षी को जप्ती पत्रक प्र०पी० 01 व गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 03 एवं बरामदगी पंचनामा प्र०पी० 02 दिखाये जाने पर उस पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी

ने इस बात से इंकार किया है कि पुलिस वाले उसके समक्ष अभियुक्त से प्र०पी० 01 में उल्लेखित संपत्ति जप्त किये थे। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि पुलिस वाले उसके समक्ष अभियुक्त से शराब जप्त होने के संबंध में बरामदगी पंचनामा प्र०पी० 02 बनाये थे। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि पुलिस वाले उसके समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार किये थे।

07. अभियोजन साक्षी राजेश साहू (अ.सा.03) का कथन है कि वह अभियुक्त रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता को नहीं पहचानना व्यक्त किया। गवाह देवबली को भी नहीं जानता है। उसे घटना की जानकारी नहीं है। पुलिस वाले उसके समक्ष कोई जप्ती, गिरफ्तारी एवं बरामदगी की कार्यवाही नहीं किये थे। साक्षी को जप्ती पत्रक प्र०पी० 01, बरामदगी पंचनामा प्र०पी० 02 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 03 दिखाये जाने पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। उक्त हस्ताक्षर उसने बस स्टैण्ड लखनपुर में किया था। पुलिस वालों ने बस स्टैण्ड लखनपुर में कुछ दस्तावेज लेकर आये थे और उसे हस्ताक्षर करने को कहा था, तब उसने हस्ताक्षर किया था।

अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार

किया है कि दिनांक 15.06.2022 को आरोपी रामचंद्र प्रसाद गुप्ता से उसके समक्ष एक झोला में रखा सिम्बा एक्स्ट्रा स्ट्रांग अंग्रेजी शराब 06 नग बोतल में प्रत्येक में 650 एम०एल० कुल मात्रा 03 लीटर 900 मिली लीटर कीमती 1200 रूपये को उसके समक्ष पुलिस वाले जप्त किये थे। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उक्त अंग्रेजी शराब बीयर के संबंध में उसके समक्ष बरामदगी पंचनामा तैयार किये थे एवं आरोपी को उसके समक्ष गिरफ्तार किया था।

08. अभियोजन साक्षी नरेन्द्र कुमार जांगड़े (अ.सा.02) का कथन है कि उसने दिनाँक 15.06.2022 को हमराह स्टाफ के साथ शराब रेड कार्यवाही एवं ग्राम भ्रमण हेतु देहात के लिए रवाना हुआ था, दौरान पेट्रोलिंग मुखबिर से सूचना मिला की ग्राम कोसगा पुलिया के पास एक व्यक्ति अंग्रेजी शराब रखकर बिक्री करने के लिए बेलदगी की ओर जा रहा है। सूचना पर हमराह स्टॉफ गवाह देवबली राम व राजेश साहू के साथ मौके पर जाकर उनसे पूछताछ किया, तब उन्होंने अपना नाम रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता आ० बड़न साव निवासी नवानगर थाना दरिमा जिला सरगुजा का होना बताया, जिसे कब्जे से एक झोला में रखा सिम्बा एक्सट्रेरा स्टोग अंग्रेजी शराब बीयर जिसमें प्रत्येक में 650 एम०एल० कुल 06 नग कुल मात्रा 03 लीटर

900 एम०एल० पाया गया। मौके पर ही उक्त अंग्रेजी बीयर रखने एवं बिक्री के संबंध में धारा–91 द०प्र०सं० का नोटिस दिया था है, जिसमें रामचन्द्र गुप्ता ने यह लिख कर दिया था कि शराब बिक्री करने एवं परिवहन व रखने का कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये जाने से मौके पर ही गवाह देवबली राम एवं राजेश साहू के समक्ष उक्त अंग्रेजी बीयर को बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया था। दिनाँक 15.06.2022 को उसने आरोपी रामचंद्र प्रसाद गुप्ता के कब्जे से अंग्रेजी शराब बीयर को गवाहों के समक्ष जप्त किया था। मौक पर से आरोपी को थाना लेकर आये थे और उसे गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया था।

09. जप्ती पत्रक प्र०पी० 01, बरामदगी पंचनामा प्र०पी० 02, नोटिस प्र०पी० 05 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 06 पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके पर ही देवबली राम एवं राजेश साहू के बतायेनुसार लेखबद्ध किया था। वापसी बाद उसके द्वारा थाना लखनपुर के अपराध क्रमांक–124/2022 अंतर्गत धाराधारा–34 (1) (क) आबकारी अधिनियम के तहत प्रथम सूचना पत्र आरोपी रामचंद्र प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध दर्ज किया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

10. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के कथन अनुसार घटना के समय अभियुक्त उक्त शराब को विक्रय करने के लिए रखा था, परंतु इस संबंध में कोई चक्षु साक्षी अथवा पंचनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता शराब विक्रय कर रहा था अथवा विक्रय करने के लिए शराब को अपने आधिपत्य में रखा था। अभियोजन साक्षीगण देववली (अ.सा.01) एवं राजेश साहू (अ.सा.03) ने अपने परीक्षण में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 01 में मात्र अपने हस्ताक्षर होना बताया है, किंतु उक्त साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में अपने समक्ष उक्त जप्ती कार्यवाही होने का समर्थन नहीं किया है जिससे जप्ती कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है। अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि उक्त जप्तशुदा एक झोला में रखा SIMBA EXTRA STRONG बियर बोतल 06 नग प्रत्येक में 650 एम०एल० कुल 03 लीटर 900 मि०ली० अंग्रेजी शराब (कीमती 1200/–) रुपये को अभियुक्त रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता के एकमात्र आधिपत्य से जप्त किया गया है।

11. विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करना होता है। संदेह की स्थिति में संदेह

का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। प्रकरण में अभियुक्त रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता से दिनांक 15.06.2022 को समय 18:00 बजे, स्थान–पुलिस के पास, कोसगा, अंतर्गत थाना–लखनपुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में बिना वैध अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में एक झोला में रखा SIMBA EXTRA STRONG बियर बोतल 06 नग प्रत्येक में 650 एम०एल० कुल 03 लीटर 900 मि०ली० अंग्रेजी शराब (कीमती 1200/–) रुपये को आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों का उल्लंघन कर, बिक्री हेतु रखा था, जिसे अभियोजन प्रमाणित करने में असफल रहा।

12. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध धारा 34(1)(क) छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः अभियुक्त रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता को संदेह का लाभ देकर धारा 34(1)(क) छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 में **दोषमुक्त** किया जाता है।

13. अभियुक्त रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता के पूर्व से प्रस्तुत जमानत–मुचलके दं०प्र०सं० की धारा 437 ए के अनुपालन में प्रस्तुत मुचलका निर्णय दिनांक से छः

महिने तक प्रवृत्त रहेंगे।

14. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक झोला में रखा SIMBA EXTRA STRONG अंग्रेजी शराब बियर बोतल 06 नग प्रत्येक में 650 एम०एल० कुल मात्रा 03 लीटर 900 मि०ली० (कीमती 1200/–) रुपये को धारा 452 (4) दं०प्र०सं० में उल्लेखित दो माह की अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे। अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

15. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि हेतु पृथक से धारा 428 दं०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया गया जो निर्णय का भाग होगा।

स्थान–अम्बिकापुर
दिनांक–23.06.2025

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही/–
(कु. प्रांजलि नेताम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग०

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/–
(कु. प्रांजलि नेताम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग०

निर्णय निरंतर

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–2817/2022
थाना लखनपुर का अपराध क्रमांक –124/2022
संस्थित तिथि–01.10.2022
छ.ग.शासन विरुद्ध रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता

निरोध अवधि विवरण तालिका
(धारा 428 द.प्र.सं.)

सी.आइ.एस. नंबर	अपराध क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी दिनांक	निरोध अवधि दिनांक से दिनांक तक
2817/2022	124/2022	रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता आ० स्व० बढ़न साव, उम्र– 70 वर्ष, निवासी–ग्राम नवानगर बाजारपारा, थाना–दरिमा, जिला–सरगुजा (छ.ग.)।	15.06.2022	पुलिस अभिरक्षा–निरंक न्यायिक अभिरक्षा–निरंक

स्थान–अम्बिकापुर
दिनांक–23.06.2025

सही/–
(प्रांजलि नेताम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अम्बिकापुर, जिला सरगुजा(छ.ग.)